सत्यमेव जयते

बिहार सरकार
वित्त विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन
2023–24

प्रतिवेदन
2023–24

कार्यक्रम
2024–25

बिहार सरकार

बिहार सरकार
वित्त विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन
2023–24

वित्त विभाग राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन का केन्द्र है और राज्य के अन्दर एवं बाहर की वित्तीय संस्थाओं के बीच सम्पर्क सूत्र है। राज्य सरकार के वित्तीय दायित्वों का निर्वहन, संसाधनों की व्यवस्था और उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग वित्तीय प्रबंधन का मौलिक उद्देश्य है।

बिहार कार्यपालिका नियमावली के अनुसार वित्त विभाग को आवंटित विषय:

1. कृषि आयकर, टैक्स, ड्यूटी, लेवी, सेस, फी इत्यादि का अधिरोपण।
2. करेन्सी, सिक्काकारी और विधि ग्राह्य मुद्रा के संबंध में प्राप्त होने वाले सभी संदर्भ।
3. संघीय राष्ट्र ऋण के संबंध में प्राप्त होने वाले सभी संदर्भ।
4. राज्य सरकार के मुद्रणालय।
5. लेखन सामग्री एवं प्रपत्र।
6. राज्य अंकेक्षण संस्था।
7. राज्य सरकार द्वारा रूपये उधार लिया जाना और ऋण प्रदान करना।
8. राज्य का लोक ऋण।
9. वित्तीय और लेखा विषयक नियम—विनियम बनाना, संहितायें तैयार करना एवं उनका निर्वहन तथा वित्तीय ढंग के अन्य प्रश्नों का निर्वचन।
10. सरकारी सेवकों की सेवा शर्त्तें, वेतन, भत्ता, वेतन पुनरीक्षण, वेतन निर्धारण एवं पेंशन।
11. मंहगाई भत्ता।
12. पेंशन रूपान्तरण तथा अनुकम्पा अनुदान।
13. लोक सेवकों की भविष्य निधि से संबंधित कार्य।
14. (क) गाड़ी खरीदने तथा मकान बनाने के लिए बैंकों से ऋण की व्यवस्था।

    (ख) यात्रा, विवाह एवं अन्यान्य अग्रिम।
15. वार्षिक वित्त विवरण और अनुपूरक व्यय विवरण तैयार करना, पुनर्विनियोग एवं बचत का प्रत्यर्पण।
16. अनुदान के मामले।
17. राज्य आकस्मिकता निधि।
18. वर्दी इत्यादि से संबंधित नीति विषयक मामले।
19. कार्यपालिका नियमावली के नियम—12 के अधीन वित्त विभाग द्वारा किये जाने वाले सामान्य प्रत्यायोजन।
20. पद सृजन से संबंधित सभी मामले।
21. कोषागार।
22. गबन एवं क्षति।
23. कर बढ़ाना या घटाना।

24. बैंकिंग।

25. बीमा।

26. व्यापार निगमों का निगमन, विनियमन और समापन जिसमें बैंकिंग बीमा और वित्त निगम शामिल है, किन्तु सहयोग समितियाँ नहीं।

27. राज्य वित्त आयोग।

28. वित्तीय मामलों में परामर्शीय कार्य।

29. आंतरिक वित्तीय सलाहकारों की नियुक्ति।

30. आर्थिक प्रकोष्ठ/अर्थशास्त्री।

31. राजस्व संसाधनों का अनुश्रवण एवं समीक्षा।

32. लोक उपक्रम का समन्वय एवं नियंत्रण।

33. साधन श्रोत एवं राजस्व बढ़ोतरी संबंधी सभी मामले।

34. प्रशासी पदवर्ग समिति।

35. विदेशी सहायता से संबंधित सभी योजनाओं, केन्द्रीय चलित योजनाओं तथा केन्द्रीय संपोषित योजनाओं का सूत्रीकरण, गठन एवं अनुश्रवण।

36. राज्य सरकार के सभी विभागों से संपर्क स्थापित कर ''प्रोजेक्ट तथा स्कीमों'' को तैयार करना (अग्रिम प्रोजेक्ट सहित)।

37. सांस्थिक वित्त संस्थाओं जैसे बैंक, आई०डी०बी०आई०, नाबार्ड इत्यादि से संपर्क रखना, सांस्थिक वित्त से संबंधित सभी प्रोजेक्ट तथा स्कीम का समन्वय तथा मॉनीटरींग।

38. राष्ट्रीय बचत योजना।

संगठनात्मक स्वरूप

उपर्युक्त दायित्वों के निर्वहन के लिए वित्त विभाग का एक विशिष्ट संगठनात्मक ढांचा है, जिसके अन्तर्गत् सचिवालय एवं अधीनस्थ निदेशालय दोनों हैं। वित्त विभाग की संरचना एवं ढांचा **परिशिष्ट–I** पर अवलोकनीय है।

वित्त विभाग में सम्पादित होने वाले कार्यों को निम्नांकित प्रमुख प्रभागों में बाँटा गया है:

(क) बजट, स्कीम एवं आयोजन प्रभाग

1	बजट एवं स्कीम तथा अर्थोपाय प्रशाखाएँ	2	वित्त आयोग प्रकोष्ठ
3	ई–गवर्नेस कोषांग	4	आर्थिक विश्लेषण प्रकोष्ठ
5	आयोजन शाखा	6	सांस्थिक वित्त
7	लोक उद्यम ब्यूरो	8	राष्ट्रीय बचत

(ख) स्थापना, लेखा एवं निगरानी प्रभाग

1	स्थापना प्रभाग	2	लेखा प्रभाग
3	निगरानी प्रभाग	4	अंकेक्षण प्रभाग

(ग) परामर्श प्रभाग

1	प्रशाखा–3	2	प्रशाखा–3ए / 3बी
3	भविष्य निधि प्रशाखा एवं ग्रुप बीमा	4	प्रशाखा–4
5	पेंशन प्रशाखा		

(घ) सेवा प्रभाग

1	वेतन निर्धारण कोषांग	2	वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग
3	अग्रिम प्रशाखा	4	सूचना का अधिकार एवं जनशिकायत कोषांग

(ङ) विधायी एवं विधि प्रभाग

1	प्रशाखा–20 (संसूचन एवं विधायी शाखा)	2	विधि कोषांग

(च) अन्य प्रभाग

1	GeM Portal	2	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2023–24 की उपलब्धियाँ

1. बजट, स्कीम एवं अर्थोपाय

वित्त विभाग में बजट एवं स्कीम शाखा की अहम् भूमिका है। इसके द्वारा आय–व्ययक एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयकों से संबंधित कार्य, विभिन्न विभागों से प्राप्त प्राप्तियों, व्यय के अनुमानित आंकड़ों एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य, जैसे संसाधन अनुमान की व्यवस्था तथा आर्थिक नीतियों का निर्धारण से संबंधित कार्य संपादित होते हैं। वित्त विभाग अपने इस प्रभाग के माध्यम से अपना कार्य–कलाप आय–व्ययक प्रस्तुतीकरण तथा विनियोग विधेयक पारित कराने तक सीमित नहीं रखता है, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास, नियोजन, संसाधन आदि से संबंधित नीति निर्धारक तत्वों पर नियंत्रण रखकर राज्य के समस्त आर्थिक विकास में सहयोग की जिम्मेवारी का भी निर्वहन करता है। विशिष्ट उद्देश्यों, कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों पर विशेष प्रकाश डालना और वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरूद्व उपलब्धियों की समीक्षा करना बजट का प्रमुख प्रयोजन है।

अर्थोपाय शाखा द्वारा केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले ऋणों एवं राज्य के आंतरिक ऋण से प्राप्ति एवं वापसी का अनुश्रवण कार्य किया जाता है। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (Rural Infrastructure Development Fund) के अन्तर्गत् नाबार्ड से ऋण प्राप्त करने तथा ऋण का उपभोग कर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा एवं अनुश्रवण के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित है, जो नाबार्ड से प्राप्त होनेवाली परियेाजनाओं हेतु ऋण स्वीकृति एवं अन्य बिन्दुओं पर भी समीक्षा करती है।

बजट एवं स्कीम प्रशाखाओं के द्वारा राज्य के सामान्य आर्थिक प्रबंधन की भी व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत् विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं के लाभ एवं लागत की समीक्षा की जाती है। बजट एवं स्कीम शाखा द्वारा विभागों की स्कीमों की स्वीकृति से संबंधित कार्यों तथा नीतिगत निर्णय लेने से संबंधित परामर्श दिया जाता है। प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत् होने के पूर्व स्कीमों की समीक्षा के क्रम में योजनाओं के लाभ एवं लागत के अनुपात में उनके उत्पादक एवं अनुत्पादक होने की स्थिति पर विचार किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार विभागों को समुचित परामर्श दिया जाता है। वर्ष 2023–24 में वित्तीय उपलब्धियाँ निम्नवत् हैं–

- बिहार राज्य की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है। महालेखाकार कार्यालय के प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 में राजस्व घटा 11288 करोड़ रुपये तथा राजकोषीय घाटा 44,823 करोड़ रुपये का रहा है जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद 7,51,396 करोड़ रुपये का 5.97 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में राजस्व बचत 4,479 करोड़ रुपये तथा राजकोषीय घाटा 25,568 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद 8,58,928 करोड़ रुपये का 2.98 प्रतिशत है।
- राज्य में त्वरित विकास हो रहा है। राज्य की योजना के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

महालेखाकार कार्यालय के प्रतिवेदन के अनुसार स्कीम व्यय वित्तीय वर्ष 2022–23 में 1,05,154 करोड़ रूपये हुआ है। वर्ष 2023–24 में स्कीम आकार 1,00,030 करोड़ रुपये का है।

- ✧ राज्य का कर–राजस्व में वर्ष 2022–23 में 44,018 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई है। वर्ष 2023–24 में 49,700 करोड़ रूपये राज्य के कर–राजस्व का अनुमान किया गया है।
- ✧ राज्य का गैर कर–राजस्व में वर्ष 2022–23 में 4,135 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई है। वर्ष 2023–24 में 6,512 करोड़ रूपये गैर कर–राजस्व का अनुमान किया गया है।
- ✧ वित्तीय वर्ष 2022–23 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 8.79 प्रतिशत रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में 8.64 प्रतिशत का अनुमान किया गया है।
- ✧ वर्ष 2022–23 के अंत में कुल लोक ऋण 2,42,846 करोड़ रुपये का है।
- ✧ वर्ष 2022–23 की अवधि में बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण भारतीय रिजर्व बैंक से न तो अर्थोपाय अग्रिम और न ही ओवरड्राफ्ट लिया गया।

2. वित्त आयोग प्रकोष्ठ

यह प्रशाखा केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में विमुक्त राशि का अनुश्रवण, उपयोगिता प्रमाण–पत्र का भारत सरकार को प्रेषण एवं इससे संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी नीतिगत निर्णय में सहायता करता है। इसी प्रकार राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा/सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में राशि की विमुक्ति एवं उसके कार्यान्वयन का अनुश्रवण किया जाता है।

यह प्रशाखा Rural Infrastructure Development Fund, Urban Infrastructure Development Fund एवं SIDBI Cluster Development Fund से संबंधित परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृति एवं प्राप्त ऋण से कार्यान्वित परियोजनाओं की समीक्षा करता है। राज्य वित्त आयोग से संबंधित सूचना **परिशिष्ट–II** एवं केन्द्रीय वित्त आयोग से संबंधित सूचना **परिशिष्ट–III** पर अवलोकनीय है।

3. ई–गवर्नेंस कोषांग/CFMS एवं कोषागार

वित्तीय प्रबंधन हेतु राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (CFMS) को दिनांक–01.04.2019 से लागू किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से राज्य का संपूर्ण वित्तीय कार्य ऑनलाईन एवं पेपरलेस हो गया है। CFMS 2.0 दिनांक– 01.04.2024 से लागू किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य के सभी कार्य विभागों में विभिन्न प्रकार के कार्यों के ऑनलाईन अनुश्रवण हेतु WAMIS 'प्रणाली' को वर्ष 2024–25 में चरणबद्ध तरीके से पुनः लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके लागू होने पर

कार्य परियोजनाओं का अनुश्रवण एवं निगरानी हेतु सभी प्रकार का प्रतिवेदन (Report) एवं सूचना वास्तविक समय पर प्राप्त होगी।

RMS- राज्य का समस्त कर–राजस्व एवं शुल्क की राशि Online प्राप्त करने हेतु O-GRAS Module कार्यरत है। इसे संवर्द्धित कर Revenue Management System (RMS) तैयार किया गया है जिसे अप्रैल, 2024 में लागू किया जाना है। RMS का विभागों के साथ Integration एवं Testing का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। RMS लागू होने के पश्चात् सभी प्रकार के राज्य कर/शुल्क एवं अन्य प्राप्तियों को Online जमा किया जा सकेगा। इससे कार्यों में तीव्रता, सटीकता तथा लेखाकंन में सहायता प्राप्त होगी।

SNA- SPARSH-PFMS- CSS के नये दिशा–निर्देश के तहत RBI के ई–कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की धनराशि "Just-in-Time" पर जारी करने हेतु SNA-SPARSH Model (PFMS) का पायलट कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है। इसके लागू होने से CSS स्कीमों का व्यय एवं अनुश्रवण वास्तविक समय पर किया जा सकेगा।

4. स्थापना

इस प्रभाग के अन्तर्गत् वित्त विभाग एवं संलग्न कार्यालयों में पदस्थापित राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मियों का प्रबंधन तथा स्थापना का कार्य किया जाता है।

5. अग्रिम

वर्ष 2023–24 में माननीय मंत्रीगणों, विधायकों एवं सरकारी सेवकों को गृह निर्माण, वाहन, कम्प्यूटर आदि क्रय के लिए दिये गये अग्रिमों का विवरण निम्नवत् है–

i. माननीय मंत्री इत्यादि को मोटरकार अग्रिम मद में कुल रू० 6,00,00,000.00 (छः करोड़ रूपये) प्रावधानित है, जिसके विरूद्ध दिनांक– 08.02.2024 तक रू० 44,99,000.00 (चौबालीस लाख़ निन्यानवे हजार रूपये) व्यय किया गया है।

ii. माननीय विधान मंडल सदस्यों को मोटरकार अग्रिम मद में कुल रू०16,00,00,000.00 (सोलह करोड़ रूपये) प्रावधानित है, जिसके विरूद्ध दिनांक–08.02.2024 तक रू० 5,15,50,000.00 (पाँच करोड़ पन्द्रह लाख पचास हजार रूपये) व्यय किया गया है।

iii. राज्य सरकार के कर्मियों/पदाधिकारियों को गृह निर्माण/वृहद्दीकरण अग्रिम मद में कुल रू० 20,00,00,000.00 (बीस करोड़ रूपये) प्रावधानित है, जिसके विरूद्ध दिनांक–08.02.2024 तक रू० 8,35,17,500.00(आठ करोड़ पैंतीस लाख सत्रह हजार पाँच सौ रूपये) व्यय किया गया है।

iv. अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों को गृह निर्माण/वृहद्दीकरण अग्रिम मद में कुल रू० 1,00,00,000.00 (एक करोड़ रूपये) प्रावधानित है, जिसके विरूद्ध दिनांक–08.02.2024

तक रू० 87,50,000.00 (सतासी लाख पचास हजार रूपये) व्यय किया गया है।

v. अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों को गृह निर्माण/वृहद्दीकरण अग्रिम मद में कुल रू० 1,00,00,000.00 (एक करोड़ रूपये) प्रावधानित है, जिसके विरूद्ध दिनांक–08.02.2024 तक रू० 87,50,000.00 (सतासी लाख पचास हजार रूपये) व्यय किया गया है।

6. परामर्शी प्रभाग

परामर्शी प्रभाग अन्तर्गत् क्रियाशील प्रशाखा यथा प्रशाखा–3 के द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति, 180 दिनों से अधिक के प्रभार रहित अवधि का सेवा विनियमन, मानदेय, प्रतिनियुक्ति, विभिन्न प्रकार के अवकाश संबंधी महत्वपूर्ण विषयों में परामर्श देने का कार्य किया जाता है। इस प्रशाखा द्वारा रू० 8,00,000.00 (आठ लाख रुपये) से अधिक की चिकित्सा अग्रिम एवं रू० 10,00,000.00 (दस लाख रुपये) से अधिक राशि की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्ताव पर अभिलेखों के आधार पर सहमति/परामर्श प्रदान किया जाता है। आवासीय कार्यालय की सुविधा एवं फर्निचर उपस्कर तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ह्रास दर का निर्धारण करने संबंधी निर्णय भी इसी प्रशाखा अन्तर्गत् लिया जाता है।

प्रशाखा–3ए/3बी के द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०, वेतन विसंगति, वेतन संरक्षण, वेतन पुनरीक्षण, वेतनमान/भत्ता निर्धारण एवं सेवा शर्त से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों में विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में परामर्श दिया जाता है। उक्त विषयों से संबंधित न्यायिक वादों के संदर्भ में न्यायालय में विभागीय पक्ष तथा CCMS पोर्टल से प्राप्त याचिका पर की गई कार्रवाई को अपडेट भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रशाखा द्वारा विभिन्न विभागों से प्रशासनिक आवश्यकतानुसार पद सृजन/वाहन क्रय के संबंध में प्रशासी पदवर्ग समिति के विचारार्थ/स्वीकृति हेतु प्राप्त मामलों में कार्रवाई की जाती है। विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्ताव पर सहमति/परामर्श देते हुए संचिका संबंधित विभाग को वापस की जाती है।

प्रशाखा–4 द्वारा बिहार कोषागार संहिता, 2011 के प्रावधानों के आलोक में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र/डी०सी० विपत्र के विरूद्ध राशि की निकासी हेतु शिथिलीकरण आदेश दिये जाने, पी०डी० खाता में व्ययगत राशि को पुनर्जीवित करने, प्रशासी विभागों के अधीनस्थ बोर्ड/निगम/प्राधिकार/सोसाईटी एवं नगर परिषद्/नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र के लिए पी०एल० खाता खोलने, सिविल डिपॉजिट से निकासी की स्वीकृति दिये जाने, सरकारी विभागों के लिए बैंक खाता खोलने की स्वीकृति दिये जाने, प्रथम स्थापना के लिए निकासी एवं व्ययन प्राधिकार निर्गत् करने एवं अग्रिम वेतन दिये जाने के संबंध में परामर्श प्रदान किया जाता है।

बिहार वित्त नियमावली, 1950 के प्रावधानों के आलोक में स्थायी अग्रिम की स्वीकृति दिये जाने, अपलेखन किये जाने, विभागों द्वारा सामग्रियों का क्रय/सेवाओं की अधिप्राप्ति/निविदा किये जाने एवं कोषागार से गबन/दुर्विनियोग से संबंधित मामलों में परामर्श दिया जाता है।

बिहार वित्त नियमावली, 1950 एवं बिहार कोषागार संहिता, 2011 में संशोधन संबंधी कार्य भी प्रशाखा द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभागों के लिए दूरभाष की अनुमान्यता के संबंध में तथा बिहार एवं झारखंड राज्य के बीच लंबित पेंशन दायित्वों के बंटवारे से संबंधित परामर्श भी इस प्रशाखा द्वारा दिया जाता है।

सम्प्रति प्रभावी कोषागार संहिता (बिहार कोषागार संहिता, 2011) एवं बिहार वित्त नियमावली 1950 को वर्त्तमान परिपेक्ष्य में ज्यादा सरल, व्यवहारिक एवं समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (CFMS) के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से नई कोषागार संहिता एवं बिहार वित्त नियमावली के गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

पेंशन शाखा (प्रशाखा–27) पुरानी पेंशन, नई पेंशन योजना, ग्रुप बीमा एवं सामान्य भविष्य निधि नियमावली के प्रसंग में परामर्शी शाखा है। इस प्रशाखा में पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत् पेंशन / उपादान संबंधी मामलों में सरकार का निर्णय संसूचन संबंधी कार्य, राज्य कर्मियों के सेवा में टूट तथा पेंशन प्रयोजनार्थ पूर्व की सेवा की गणना संबंधी प्रशासी विभागों के प्रस्ताव में सहमति / परामर्श संबंधी कार्य संपादित किया जाता है। नई पेंशन योजना से संबंधित परामर्श एवं इसके अंतर्गत् नियुक्त कर्मियों का निबंधन संबंधी कार्य भी इसी प्रशाखा से किया जाता है। NSDL (National Securities Depository Limited), मुम्बई से प्राप्त डाटा के अनुसार नई पेंशन योजना के अंतर्गत् दिनांक–05.02.2024 तक कुल 3,29,226 कर्मी एन०पी०एस० के तहत निबंधित हैं। वित्त विभागीय संकल्प संख्या–1206 दिनांक–28.11.2023 द्वारा वैसे मामलों में जहाँ एक ही विज्ञापन के माध्यम से दिनांक–01.09.2005 के पूर्व कतिपय अभ्यर्थी पुरानी पेंशन योजना के तहत तथा दिनांक–01.09.2005 के पश्चात् कतिपय अभ्यर्थी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन०पी०एस०) के तहत नियुक्त हुए हैं, एन०पी०एस० के तहत नियुक्त कर्मियों को कतिपय शर्तों के अधीन पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प प्रदान किया गया है।

7. भविष्य निधि निदेशालय

वित्तीय वर्ष 2023–24 में e-GPF Module पर अंशदाताओं के भविष्य निधि खाता में समुचित लेखा को संधारित करने के निमित पूर्व से कार्यरत e-GPF Software के स्थान पर CFMS 2.0 के अंतर्गत् e-GPF का नया Module निर्माण किया जा रहा है। CFMS 2.0 अंतर्गत् अंशदाताओं का डाटा डिजिटाइज्ड होने के साथ–साथ अद्यतन लेखा पूर्जा एवं प्राधिकार पत्र भी ऑनलाईन प्रदान किया जा सकेगा।

आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 के प्रथम तीन माह के अंदर कार्यरत कर्मियों का अद्यतन लेखा निर्गत् करने का शत–प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित है।

सेवानिवृत हो रहे कर्मियों को उनके सेवानिवृति वाले माह में भविष्य निधि राशि का ससमय भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत् किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 1,12,188 कर्मियों में से माह दिसम्बर 2023 तक सेवानिवृत हुए कुल 5156 कर्मियों के विरूद्ध 5109 सेवानिवृत कर्मियों का भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत् किया जा चुका है। शेष 47 सेवानिवृत कर्मियों के भविष्य निधि से

भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत् की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2023–24 में कुल 1,12,051 कर्मियों का लेखा पूर्जा शत–प्रतिशत निर्गत् किया जा चुका है।

८. मुद्रण एवं लेखन सामग्री निदेशालय

राजकीय प्रेस गुलजारबाग के आधुनिकीकरण एवं क्षमता संवर्धन हेतु आधुनिक प्रिंटिंग मशीन एवं उपस्कर की आपूर्ति एवं स्थापना की जा रही है। गुलजारबाग प्रेस में जर्जर भवन के जीर्णोद्धार एवं मरम्मती के निर्णय के आलोक में भवन निर्माण विभाग से प्रतिवेदन हेतु पत्राचार किया गया है। साथ ही, प्रेस में अवस्थित पुराने नाकामयाब मशीनों एवं अन्य रद्दी अनुप्रयुक्त सामग्रियों की नीलामी किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रेस में अवस्थित पुराने नाकामयाब मशीनों एवं अन्य रद्दी अप्रयुक्त सामग्रियों को कंडम घोषित करने हेतु कमिटी का गठन किया गया है। एम०एस०टी०सी० लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा नीलामी कराये जाने के निर्णय के आलोक में एम०एस०टी०सी० लिमिटेड को प्राधिकृत किये जाने हेतु संलेख प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति संबंधी कार्रवाई की गई।

गुलजारबाग प्रेस के आधुनिकीकरण के क्रम में नई मशीनों के क्रय किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। साथ ही, प्रेस के पुराने व जर्जर भवनों के जीर्णोद्धार एवं मरम्मती का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

गुलजारबाग प्रेस का अपर मुख्य सचिव महोदय, वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निरीक्षण के दौरान मुद्रण संग्रहालय के स्थापना के संबंध में निदेश दिया गया। मुद्रण संग्राहलय में पूर्व के मुद्रण तकनीक (लेटर प्रेस) से संबंधित प्रेस में उपलब्ध मशीनों एवं उपकरणों को प्रदर्शन हेतु स्थापित किया जाना है।

गुलजारबाग प्रेस के पुराने तकनीक के अप्रयुक्त मशीनों को अलग कर म्यूजियम की स्थापना की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

वर्ष 2023–2024 में प्रेस के आधुनिकीकरण एवं क्षमता संवर्धन हेतु आधुनिक प्रिंटिंग मशीन एवं उपस्कर की आपूर्ति एवं स्थापना को फलीभूत करते हुए प्रेस को सुचारू रूप से संचालित करते हुए विभिन्न प्रपत्रों इत्यादि का ससमय मुद्रण किया जा सकेगा।

मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरांत वित्त विभागीय संकल्प संख्या–5300 दिनांक–07.06.2022 द्वारा सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना के आधुनिकीकरण हेतु प्रेस में रक्षित पुराने व नाकामयाब मशीनों, उपकरण व अन्य रद्दी सामग्रियों के बिक्री के लिए नीलामी प्रक्रिया हेतु Metal Scrap Trade Corporation (MSTC) Ltd. (भारत सरकार के उपक्रम) को बिहार वित्त संशोधन नियमावली–2005 के नियम–131झ (ड.) के तहत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत किया गया। वित्त विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–5921 दिनांक–23.06.2022 द्वारा उक्त कार्य हेतु विभागीय संकल्प संख्या–5300 दिनांक–07.06.2022 के कंडिका–4(1) के आलोक में प्रभारी अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

गुलजारबाग, पटना को विक्रेता पदाधिकारी नामित किया गया है एवं वित्त विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–6111 दिनांक–29.06.2022 द्वारा उक्त कार्य के क्रार्यान्वयन हेतु एकरारनामा तैयार किये जाने के लिए एम०एस०टी०सी० के एकरारनामा प्रारूप पर श्री मिथिलेश मिश्र, अपर सचिव–सह–निदेशक (प्रेस), वित्त विभाग को हस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत किया गया था।

प्रभारी अधीक्षक, के पत्रांक–631 दिनांक–22.05.2023 द्वारा सूचित किया गया है कि एम०एस०टी०सी० लिमिटेड, पटना द्वारा सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना में रक्षित पुराने एवं नाकामयाब मशीनों/उपकरणों एवं रद्दी सामग्रियों की नीलामी हेतु Auction No.-6215/2023-24 निकाला गया था, जिसमें नीलामी की तिथि 19.05.2023 निर्धारित की गई थी। उक्त नीलामी में मेसर्स सहारा इन्टरप्राइजेज, गर्दनीबाग, पटना के Bid में सफल होने की सूचना एम०एस०टी०सी० द्वारा दी गई है, जिसमें 38,891/–प्रति मैट्रिक टन का दर स्वीकृत किया गया है। प्रभारी अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना के पत्रांक–1330 दिनांक–07.12.2023 द्वारा सूचित किया गया है कि एम०एस०टी०सी० के द्वारा Auction No.-6215 दिनांक–19.05.2023 के माध्यम से चयनित संवेदक मेसर्स सहारा इन्टरप्राइजेज, गर्दनीबाग, पटना द्वारा गुलजारबाग प्रेस पटना में रक्षित पुराने एवं नाकामयाब मशीनों/उपकरणों एवं रद्दी सामग्रियों का उठाव कार्य पूरा किया जा चुका है। संवेदक द्वारा कुल 316.35 मैट्रिक टन स्क्रैप का उठाव किया गया है।

9. सांख्यिक वित्त निदेशालय

बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 की द्वितीय तिमाही तक CD Ratio तथा ACP का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में बेहतर प्रयास किया गया है। वार्षिक साख योजना के लक्ष्य को हासिल करने एवं CD Ratio को राष्ट्रीय औसत तक ले जाने हेतु बैंकों को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में निदेश दिया गया है।

बैंकों की कार्य प्रणाली की समीक्षा हेतु हर वर्ष प्रत्येक त्रैमास में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आहूत की जाती है। सितम्बर, 23 के त्रैमास की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 87वीं बैठक 20.12.2023 को माननीय वित्त मंत्री, बिहार की अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर में सम्पन्न हुई, जिसमें सभी बैंकों की कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गयी। राजधानी से बाहर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की यह पहली बैठक थी। मुजफ्फरपुर में इस बैठक को करवाने का मुख्य उद्देश्य सभी सहभागियों को बिहार में उद्योग के क्षेत्र में हुए संरचनात्मक विकास से अवगत कराया जाना था।

30 सितम्बर, 2023 को बैंकों का कुल जमा 4,75,237 करोड़ रूपये और कुल ऋण 2,68,803 करोड़ रूपये था। इस प्रकार बैंकों का साख–जमा अनुपात (CD Ratio) 56.56 प्रतिशत रहा है जो कि गत वर्ष की इसी अवधि के CD Ratio से 3.67 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2023–24 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 23 तक) वार्षिक साख योजना (ACP) के इस वित्तीय वर्ष के लक्ष्य 2,63,150 करोड़ रूपये के विरूद्ध उपलब्धि 1,37,275 करोड़ रूपये हुई है। यह वार्षिक लक्ष्य का 52.17 प्रतिशत है।

वर्ष 2023–24 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 23 तक) कृषि क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य 94,150 करोड़ रूपये के विरूद्ध 41,044 करोड़ रूपये वितरित किये गये हैं, जो लक्ष्य का 43.59 प्रतिशत है।

MSME के अंतर्गत् वर्ष 2023–24 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 23 तक) 89,480 करोड़ रूपये लक्ष्य के विरूद्ध 42,945 करोड़ रूपये वितरित किए गए हैं, जो कि वार्षिक लक्ष्य का 47.99 प्रतिशत है।

वर्ष 2023–24 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 23 तक) प्रधानमंत्री जन–धन योजना के तहत खोले गये 18.14 लाख खातों में 136 करोड़ रूपये जमा हैं। 30.09.23 तक राज्य में समेकित रूप से 585.73 लाख जन धन खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें 15,120 करोड़ रूपये की राशि जमा है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत् वर्ष 2023–24 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 23 तक) 36.63 लाख नये पंजीकरण (enrolments) किये गये हैं। सितम्बर, 23 तक राज्य में समेकित रूप से 213.36 लाख पंजीकरण किये जा चुके हैं। इस बीमा योजना में सितम्बर, 23 तक 2644 दावे प्राप्त हुए एवं 2025 दावों का निष्पादन किया गया है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनान्तर्गत् वर्ष 2023–24 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 23 तक) 13. 32 लाख नये पंजीकरण (enrolments) हुए हैं। सितम्बर, 23 तक इस योजना में राज्य में समेकित रूप से 88.94 लाख लोगों का पंजीकरण हो चुका है। इस अवधि तक 10,232 दावे प्राप्त हुए एवं 9368 दावों को निष्पादन किया गया है।

वर्ष 2023–24 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 23 तक) अटल पेंशन योजनान्तर्गत् लक्ष्य 6.36 लाख के विरूद्ध 4.61 लाख लोगों का पंजीकरण हुआ है। इस योजना के अंतर्गत् राज्य में सितम्बर, 23 तक समेकित रूप से 44.49 लाख लोगों का पंजीकरण हो चुका है।

30.09.2023 को राज्य में 7987 बैंक शाखाएँ, 53,998 BC Agents, 7167 ATMs तथा 82,048 PoS Machine कार्यरत हैं। इस तारीख तक कुल 7.64 करोड़ ATM Cards निर्गत् हुए हैं।

राज्यवासियों के बीच डिजिटल लेन–देन को बढ़ावा देने के लिए जहानाबाद, अरवल एवं शेखपुरा के 100% बैंक में जमा खातों के डिजिटलाईजेशन के बाद अब राज्य के सभी जिलों को इसके लिए चिह्नित किया गया है। इन जिलों में सभी जमा खाताओं को डिजिटलाईजेशन करने का लक्ष्य सितम्बर 2024 तक पुरा किया जाना है।

राज्य के सभी 38 जिलों में बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता केन्द्र चलाए जा रहे हैं जो लोगों के बीच कैंप लगाकर वित्तीय जागरूकता पैदा कर रहे हैं। 30.09.23 तक इन साक्षरता केन्द्रों द्वारा 650 विशेष कैम्प एवं 750 Target Group Specific Camp लगाऐ गए हैं। राज्य में बैंकों के ग्रामीण शाखाओं द्वारा भी वित्तीय साक्षरता में महत्वपूर्ण योगदान है। सितम्बर, 23 तक इन शाखाओं द्वारा वित्तीय साक्षरता हेतु 9582 आयोजन किए जा चुके हैं।

इस वर्ष राज्य के सभी 38 जिलों में बैंकों द्वारा चलाए जा रहे ''ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्रों'' द्वारा 719 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए जिनमें 21,842 इच्छुक स्वरोजगारियों को प्रशिक्षित किया गया है। अबतक कुल 1,64,654 प्रशिक्षित स्वरोजगारियों में से 74,460 को बैंकों द्वारा वित्त प्रदान किया गया।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की गतिविधियों के संबंध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक दिनांक–27.11.2023 को हुई। इसमें राज्य में कार्यरत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के क्रियाकलापों की समीक्षा की गयी। बैठक में रिजर्व बैंक से गैर वित्तीय कंपनियों पर अधिक नियंत्रण रखने में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए कहा गया।

10. लोक उद्यम ब्यूरो

9 प्रशासी विभागों के अन्तर्गत् 14 निगम (अनुषंगी कंपनियों सहित) एवं बेल्ट्रॉन की 2 अनुषंगी कंपनियाँ अकार्यरत है।

अकार्यरत निगमों के विभिन्न सरकारी विभागों में प्रतिनियुक्त कर्मियों एवं शेष बचे कर्मियों का विभिन्न सरकारी विभागों में समायोजन हेतु वित्त विभाग, बिहार, पटना से संकल्प संख्या–52, दिनांक–14.03.2018 निर्गत् है।

अकार्यरत निगमों के सेवानिवृत/मृत कर्मियों के निगम में सेवाकाल की देयता तथा सरकारी सेवा में समायोजित होने वाले कर्मियों के निगम में सेवाकाल की देयता तथा सरकारी सेवा में समायोजित होने वाले कर्मियों के समायोजन के पूर्व की देयता के भुगतान के संबंध में वित्त विभाग, बिहार, पटना से संकल्प संख्या–132 दिनांक–20.06.2018 निर्गत् है।

उक्त संकल्प का ससमय एवं न्यायपूर्ण कार्यान्वयन की कार्रवाई वित्त विभाग के मार्गदर्शन में निगमों के संबधित प्रशासी विभाग के स्तर से किया जा रहा है।

राजकीय लोक उपक्रमों से संबंधित लंबित वार्षिक लेखा का निष्तारण हेतु प्रधान सचिव, वित्त विभाग के अध्यक्षता में संपन्न बैठक में संबंधित प्रशासी विभागों एवं निगमों से उपस्थित पदाधिकारियों को लंबित वार्षिक लेखा के त्वरित निष्पादन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

11. GeM Portal

भारत सरकार के Online Portal GeM से सामग्रियों/सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु वित्त विभागीय अधिसूचना 9230 दिनांक–27.11.2017 द्वारा राज्य में GeM Portal पर अधिप्राप्ति के संबंध में आवश्यक निदेश निर्गत् किये गये है। दिनांक 01.04.2018 से सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में GeM Portal से अधिप्राप्ति अनिवार्य रूप से की जा रही है।

राज्य में GeM Portal से क्रय हेतु पूर्व से प्रभावी SGPA व्यवस्था में आ रही तकनीकी समस्याओं को दृष्टिपथ करते हुये दिनांक–01.04.2023 के प्रभाव से GeM Pool Account (GPA) Payment mode की

व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके तहत समस्त विभागो को कुल 6 बैकों SBI, PNB, HDFC, ICICI, AXIS एवं YES Bank में से किन्ही तीन बैंको के साथ MoU की सुविधा प्रदान की गई है।

SGPA व्यवस्था में सेवाओं से संबंधित अधिप्राप्ति की व्यवस्था नहीं थी, जबकि GPA अंतर्गत् सामग्रियों के साथ–साथ सेवाओं की अधिप्राप्ति से संबंधित व्यवस्था भी निरूपित है। GPA के अंतर्गत् दो विकल्प चालान मॉडल एवं नन–चालान मॉडल उपलब्ध है। चालान मॉडल में वस्तुओं एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति/क्रय के समतुल्य राशि GeM Pool Account में स्थानांतरित करनी होती है। नन–चालान मॉडल एक प्रकार का Wallet Account है, जिसमें संबंधित विभाग/कार्यालय समय–समय पर सुसंगत निधि में से एकमुश्त राशि स्थानांतरित कर सकते है तथा उपलब्ध राशि के सापेक्ष वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रयादेश निर्गत् कर सकते है। राज्य में दिनांक–05.02.2024 तक कुल रू. 7106.06 करोड़ का क्रय ळमड के माध्यम से हो चुका है।

सम्प्रति राज्य में GeM Portal के माध्यम से अधिप्राप्ति को बढ़ावा दिये जाने हेतु वर्ष 2023 में वित्त विभाग में प्रतिनियुक्त GeM के प्रतिनिधियों द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के संबद्ध पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ–साथ GeM, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित जिलावार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार राज्य के 23 जिलों में GPA की तकनीकी विशेषताओं के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। शेष जिलों में भी यथाशीघ्र प्रशिक्षण पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

वित्त विभाग में प्रतिनियुक्त GeM के प्रतिनिधि द्वारा राज्य के सभी विभागों/कार्यालयों एवं जिला कार्यालयों में उनसे प्राप्त अनुरोध के आलोक में GeM Portal पर निबंधन एवं क्रय के संबंध में समय–समय पर मार्गदर्शन दिया जाता रहा है।

12. राष्ट्रीय बचत

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रायोजित लघु बचत योजनाओं के अन्तर्गत् बिहार राज्य में वित्तीय वर्ष 2023–24 के माह नवम्बर 2023 तक 5372.96 करोड़ रूपये शुद्ध संग्रह किया गया है।

माह नवम्बर 2023 तक अधिकृत SAS (स्टैंडर्डाइज्ड एजेंसी सिस्टम) अभिकर्त्ताओं की संख्या–8772 एवं MPKBY (महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना) अभिकर्त्ताओं की संख्या–9220 अर्थात कुल अधिकृत अभिकर्त्ताओं की संख्या–17992 है।

13. बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के प्रारम्भ की तिथि दिनांक–15.07.2018 से वर्ष 2023–24 में दिनांक–05.02.2024 तक प्राप्त कुल 3,36,539 आवेदनों में से 2,79,991 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है, जिसमें रू० 8024.70 करोड़ की राशि निहित है। इन स्वीकृत आवेदनों में से कुल 2,63,950 आवेदकों को रू० 4830.62 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है।

14. अंकेक्षण निदेशालय

सामान्य अंकेक्षण के अन्तर्गत् दिनांक–31.01.2024 तक कुल 51 कार्यालयों/विभागों के लेखा का अंकेक्षण कार्य संपादित किया गया है तथा दिनांक–31.01.2024 तक सामान्य अंकेक्षण के कुल 51 अंकेक्षण प्रतिवेदन निर्गत् किये गये हैं।

राज्य के पंचायती राज संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के निर्देश के आलोक में अनुदान प्राप्ति हेतु लेखा वर्ष 2021–22 के शत प्रतिशत इकाईयों का अंकेक्षण करने की शर्त रखी गयी है। इसके आलोक में स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय द्वारा कुल 8004 ग्राम पंचायत, 504 पंचायत समिति एवं 38 जिला परिषद् का अंकेक्षण कार्य संपन्न कर लिया गया है, जो कुल इकाईयों का 99% है।

राज्य के पंचायती राज संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के निर्देश के आलोक में अनुदान प्राप्ति हेतु लेखा वर्ष 2022–23 के शत प्रतिशत इकाईयों का अंकेक्षण करने की शर्त रखी गयी है। इसके आलोक में दिनांक–31.01.2024 तक स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय द्वारा कुल 6297 ग्राम पंचायत, 235 पंचायत समिति एवं 04 जिला परिषद् का अंकेक्षण कार्य संपन्न कर लिया गया है। शेष इकाईयों का अंकेक्षण कार्य प्रगति पर है।

15. वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग

वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग में राज्य के कुल 45 विभागों के समूह ''क'' एवं ''ख'' के राज्य सेवाओं के सभी राजपत्रित पदाधिकारियों यथा बेसिक ग्रेड से लेकर उच्चतर पद तक (अखिल भारतीय सेवा एवं 2009 से पूर्व प्रोन्नत कुछ पदाधिकारियों को छोड़कर) का वेतन पूर्जा, दीर्घकालीन अग्रिम से संबंधित बाकी/बेबाकी, अवकाश आदेयता, वेतन स्थिति, सेवा इतिहास एवं अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत् करने का कार्य किया जाता है। साथ ही राजपत्रित पदाधिकारियों द्वारा लिये गये दीर्घकालीन अग्रिम से संबंधित राशि की सूद की गणना करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत् करने संबंधी कार्य भी निष्पादित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के प्रस्तावित कार्यक्रम

- बिहार राज्य राजस्व प्रशासन इन्ट्रानेट (ब्रेन) परियोजना– वित्तीय वर्ष 2024–25 में ''CFMS प्रोजेक्ट'' के लिए 50.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- भवन निर्माण विभाग की मांग में सचिवालय स्पोर्ट्स क्लब हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- गुलजारबाग प्रेस के आधुनिकीकरण के लिए 10.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अंशदान के लिए 19.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- भवन निर्माण विभाग की मांग में वित्त विभाग के कार्यालयों के भवनों के जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजनांतर्गत् पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड का गठन किया गया है, जिसे ऋण मद में 700.00 करोड़ रुपये एवं अनुदान मद में 9.00 करोड़ रुपये अर्थात् कुल 709.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- वित्त विभाग में राज्य स्कीम एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रावधानित राशि **परिशिष्ट–IV** पर अवलोकनीय है।
- वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन विनियोग संख्या 13–सूद भुगतान, विनियोग संख्या 14–ऋण अदायगियाँ एवं मांग संख्या 15–पेंशन है जिसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में राशि प्रावधानित होती है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रावधानित राशि **परिशिष्ट–V** पर अवलोकनीय है।

परिशिष्ट–I

वित्त विभाग की संरचना एवं ढांचा

वित्त मंत्री के नेतृत्व में वित्त विभाग की संरचना एवं ढांचा निम्न प्रकार है:

राजपत्रित	क्र०	पदनाम	स्वीकृत बल
भारतीय प्रशासनिक सेवा	1	प्रधान सचिव	1
	2	सचिव (संसाधन)	1
	3	सचिव (व्यय)	1
	4	विशेष सचिव	1
	5	अपर सचिव	2
	6	संयुक्त सचिव	2
बिहार प्रशासनिक सेवा	1	विशेष सचिव	1
	2	अपर सचिव	1
	3	संयुक्त सचिव/निदेशक	1
	4	उप सचिव	1
बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा	1	संयुक्त बजट नियंत्रक	5
	2	संयुक्त आयुक्त, वित्तीय प्रशासन	4
	3	उप बजट नियंत्रक–सह–उप सचिव	5
	4	उपायुक्त, वित्तीय प्रशासन	6
	5	उप निदेशक, कोषागार एवं लेखा	2
	6	उप निदेशक, जी०पी०एफ०	2
	7	आंतरिक वित्तीय सलाहकार	1
	8	अवर बजट नियंत्रक–सह–अवर सचिव	6
	9	सहायक निदेशक, कोषागार एवं लेखा	2
	10	सहायक आयुक्त, जी०पी०एफ०	2
	11	लेखा पदाधिकारी	5
	12	सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार	1

राजपत्रित	क्र०	पदनाम	स्वीकृत बल
बिहार सचिवालय सेवा	1	संयुक्त सचिव	2
	2	उप सचिव	9
	3	अवर सचिव	24
	4	प्रशाखा पदाधिकारी	69
अन्य	1	निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय	1
	2	बजट सलाहकार	1
	3	वित्तीय विशेषज्ञ	1
	4	बैंकिंग एक्सपर्ट	3
	5	प्रणाली विश्लेषक	1
	6	विधि परामर्शी	1
अराजपत्रित	1	समूह–ख	293
	2	समूह–ग	232
	3	समूह–घ (सम्प्रति समूह–ग)	170

परिशिष्ट–II
राज्य वित्त आयोग

भारत के संविधान के अनुच्छेद–243 (I) सह–पठित 243 (Y) के अनुपालन तथा बिहार राज्य पंचायत अधिनियम–2006 की धारा–168 एवं बिहार नगर पालिका अधिनियम–2007 की धारा–71 के प्रावधानों के अंतर्गत् वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या–1835 दिनांक–20.02.2019 द्वारा षष्ठम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था।

आयोग द्वारा अप्रैल, 2021 में अपना अंतिम एवं पूर्ण प्रतिवेदन राज्य सरकार को समर्पित किया गया। आयोग द्वारा समर्पित अंतिम प्रतिवेदन वर्ष 2021–22 से 2024–25 तक के लिए है। राज्य सरकार द्वारा आयोग की अनुशंसा प्रतिवेदन को अंगीकृत करते हुए वित्त विभागीय संकल्प संख्या–5164 दिनांकः 13.08.2021 द्वारा लागू किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए अनुशंसा में वर्ष 2020–21 के लिए पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसायें जो वर्ष 2015–20 के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है, के अनुरूप राशि का हस्तांतरण एवं क्रियान्वयन किये जाने संबंधी निदेश जारी किए गए हैं। शेष वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2024–25 तक स्थानीय निकायों के बीच राशि का हस्तांतरण निम्नवत् किये जाने का प्रावधान किया गया हैः

1. **प्रतिनिधायन (Devolution)-** प्रतिनिधायन (Devolution) के रूप में स्थानीय निकायों को अंतरित की जानेवाली राशि पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य के अपने शुद्ध कर राजस्व का 10 प्रतिशत होगा।

2. **अनुदान (Grant)-** राज्य के पिछले वित्तीय वर्ष के कुल वास्तविक व्यय का 1.25 प्रतिशत अनुदान के रूप में स्थानीय निकायों को सीधे अंतरित की जायेगी। इसके अतिरिक्त 1.25 प्रतिशत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उन स्कीमों के अंतर्गत् व्यय किया जायेगा, जिनका उद्देश्य स्थानीय निकायों का विकास करना है।

षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2023–24 हेतु स्थानीय निकायों के लिए राशि

(राशि करोड़ रूपये में)

निकाय (%)	देय Devolution की राशि	देय अनुदान की राशि Grant	कुल देय राशि
पंचायती राज संस्थान (PRIs) (65%)	2772.99	1884.22	4657.21
शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) (35%)	1493.15	1014.58	2507.73
कुल राशि	4266.14	2898.80	7164.94
पटना नगर निगम को स्पेशल पैकेज			275.00
कुल देय राशि			**7439.94**

परिशिष्ट–III

15वें वित्त आयोग से संबंधित सूचना

15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक के लिए अपनी अनुशंसा प्रतिवेदन भारत सरकार को समर्पित किया गया। भारत सरकार द्वारा इस अनुशंसा को स्वीकार करते हुए Action Taken Report निर्गत् किया गया। इस अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय करो में राज्यों की हिस्सेदारी Vertical 41 प्रतिशत की गई है। बिहार के लिए यह हिस्सेदारी Horizontally 10.058 प्रतिशत है। वर्ष 2021–22 से 2025–26 के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में बिहार राज्य के लिए अनुदान के रूप में अनुशंसित एवं प्राप्त राशि की विवरणी संलग्न चार्ट के अनुसार है।

15th Finance Commission Grants

Sl No.	Sectors			2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	2025-26	Total (2021-26)	
	Grants			Recommendation	Actual Release	Recommendation	Actual Release	Recommendation	Actual Release	Recommendation	Recommendation	Recommendation	Actual Release
1	Grants to RLBS	(a) United Grants (40%)		1483.60	1483.60	1536.80	1536.80	1553.60	1540.96	1645.60	1604.80	7824.40	4561.36
		(b) Tied Grants (60%)		2225.40	2225.40	2305.20	2305.20	2330.40	2311.45	2468.40	2407.20	11736.60	6842.05
		Total RLBs		**3709.00**	**3709.00**	**3842.00**	**3842.00**	**3884.00**	**3852.41**	**4114.00**	**4012.00**	**19561.00**	**11403.41**
2	ULBS Grants	Grants to Million Plus City	SWM & Sanitation	206.00	0.00	213.00	0.00	225.00	213.00	239.00	243.00	1126.00	213.00
			Air Quality	103.00	77.25	107.00	7.35	113.00	0.00	119.00	122.00	564.00	84.60
			Total	**309.00**	**77.25**	**320.00**	**7.35**	**338.00**	**213.00**	**358.00**	**365.00**	**1690.00**	**297.60**
		Grant to Other than Milllion Plus cities	Untied (40%)	607.20	303.60	628.80	618.00	665.20	314.40	704.40	718.00	3323.60	1236.00
			Tied (60%)	910.80	455.40	943.20	927.00	997.80	677.60	1056.60	1077.00	4985.40	2060.00
			Total	**1518.00**	**759.00**	**1572.00**	**1545.00**	**1663.00**	**992.00**	**1761.00**	**1795.00**	**8309.00**	**3296.00**
		Total ULBS		**1827.00**	**836.25**	**1892.00**	**1552.35**	**2001.00**	**1205.00**	**2119.00**	**2160.00**	**9999.00**	**3593.60**
	Total Local Bodies Grants			**5536.00**	**4545.25**	**5734.00**	**5394.35**	**5885.00**	**5057.41**	**6233.00**	**6172.00**	**29560.00**	**14997.01**
3	Health Grants	Grants for Health through Local Government	Sub Centres	157.11	157.10	157.11	0.00	164.96	0.00	173.21	182.02	834.41	157.10
			PHCs	172.79	172.79	172.79	0.00	181.42	0.00	190.50	200.22	917.72	172.79
			Urban PHCs	43.20	27.42	43.20	0.00	45.36	0.00	47.63	50.01	229.40	27.42
		Block Level Public Units		49.47	49.47	49.47	0.00	51.94	0.00	54.54	57.27	262.69	49.47
		Urban Helath & Wellness Centres		185.43	185.43	185.43	0.00	194.71	0.00	204.44	214.66	984.67	185.43
		Building-less sub-centres, PHCs, CHCs		329.29	329.29	329.29	0.00	345.60	0.00	363.00	381.10	1748.28	329.29
		Conversion of Rural PHCs & Sub-centres into Helath & Wellness Centres		195.81	194.81	195.81	0.00	205.60	0.00	215.88	226.68	1039.78	194.81
		Total Health Grants		**1133.10**	**1116.31**	**1133.10**	**0.00**	**1189.59**	**0.00**	**1249.20**	**1311.96**	**6016.95**	**1116.31**
4	State Disaster Risk Management Fund	Central Share (75%)		1416.00	1416.00	1487.00	1487.00	1561.00	624.40	1639.00	1721.00	7824.00	3527.40
		Total SDRMF		**1416.00**	**1416.00**	**1487.00**	**1487.00**	**1561.00**	**624.40**	**1639.00**	**1721.00**	**7824.00**	**3527.40**
Total Grants From GoI				**8085.10**	**7077.56**	**8354.10**	**6881.35**	**8635.59**	**5681.81**	**9121.20**	**9204.96**	**43400.95**	**19640.72**

परिशिष्ट–IV

वित्त विभाग का वर्ष 2023–24 बजट अनुमान, वर्ष 2023–24 पुनरीक्षित अनुमान एवं वर्ष 2024–25 का बजट अनुमान का सार

(राशि लाख में)

राजस्व भाग	मांग/ विनियोग सं०	मुख्य शीर्ष	मतदेय/ प्रभृत	2023–24 बजट अनुमान			2023–24 पुनरीक्षित अनुमान			2024–25 बजट अनुमान		
				राज्य स्कीम	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	कुल योग (5+6)	राज्य स्कीम	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	कुल योग (8+9)	राज्य स्कीम	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	कुल योग (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अन्य राजकोषीय सेवाएं	12	2047	मतदेय		338.63	**338.63**		338.63	**338.63**		299.52	**299.52**
ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	12	2048	प्रभृत		146906.00	**146906.00**		146906.00	**146906.00**		164596.09	**164596.09**
सचिवालय सामान्य सेवाएं	12	2052	मतदेय		10356.07	**10356.07**		10479.07	**10479.07**		12925.01	**12925.01**
खजाना तथा लेखा प्रशासन	12	2054	मतदेय	5000.00	11487.01	**16487.01**	5000.00	11487.01	**16487.01**	5000.00	10915.78	**15915.78**
लेखन सामग्री तथा मुद्रण	12	2058	मतदेय		1700.38	**1700.38**		1700.38	**1700.38**		1409.01	**1409.01**
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	12	2070	मतदेय		573.47	**573.47**		1759.33	**1759.33**		519.50	**519.50**
सामान्य शिक्षा	12	2202	मतदेय	900.00		**900.00**	900.00		**900.00**	900.00		**900.00**
खेलकुद तथा युवा सेवाएं	12	2204	मतदेय		183.00	**183.00**		183.00	**183.00**		65.00	**65.00**
जोड़:– राजस्व भाग			**मतदेय**	**5900.00**	**24638.56**	**30538.56**	**5900.00**	**25947.42**	**31847.42**	**5900.00**	**26133.82**	**32033.82**
			प्रभृत	**0.00**	**146906.00**	**146906.00**	**0.00**	**146906.00**	**146906.00**	**0.00**	**164596.09**	**164596.09**
लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	12	4058	मतदेय	1000.00		**1000.00**	1000.00		**1000.00**	1000.00		**1000.00**
अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	12	4070	मतदेय	1700.00		**1700.00**	1700.00		**1700.00**	0.00		**0.00**
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	12	5475	मतदेय	1220.00		**1220.00**	9707.00		**9707.00**	1920.00		**1920.00**
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज	12	6202	मतदेय	69000.00		**69000.00**	114000.00		**114000.00**	70000.00		**70000.00**
सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि	12	7610	मतदेय		4400.00	**4400.00**		4400.00	**4400.00**		3900.00	**3900.00**
जोड़:– पूँजीगत भाग			**मतदेय**	**72920.00**	**4400.00**	**77320.00**	**126407.00**	**4400.00**	**130807.00**	**72920.00**	**3900.00**	**76820.00**
			प्रभृत									
कुल (राजस्व + पूँजीगत) वित्त विभाग :–				**78820.00**	**175944.56**	**254764.56**	**132307.00**	**177253.42**	**309560.42**	**78820.00**	**194629.91**	**273449.91**

परिशिष्ट–V

सूद भुगतान, ;ण अदायगियाँ एवं पेंशन का वर्ष 2023–24 बजट अनुमान, वर्ष 2023–24 पुनरीक्षित अनुमान एवं वर्ष 2024–25 का बजट अनुमान का सार

(राशि लाख में)

राजस्व भाग	मांग/विनियोग सं०	मुख्य शीर्ष	मतदेय/प्रभृत	2023–24 बजट अनुमान			2023–24 पुनरीक्षित अनुमान			2024–25 बजट अनुमान		
				राज्य स्कीम	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	कुल योग (5+6)	राज्य स्कीम	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	कुल योग (8+9)	राज्य स्कीम	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	कुल योग (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ब्याज अदायगियाँ	13	2049	प्रभृत		1835444.30	**1835444.30**		1835444.30	**1835444.30**		2052618.66	**2052618.66**
कुल :– सूद भुगतान				**0.00**	**1835444.30**	**1835444.30**	**0.00**	**1835444.30**	**1835444.30**	**0.00**	**2052618.66**	**2052618.66**
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	14	6003	प्रभृत		2148764.78	**2148764.78**		2148764.78	**2148764.78**		2062199.36	**2062199.36**
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	14	6004	प्रभृत		207103.97	**207103.97**		207103.97	**207103.97**		177072.37	**177072.37**
कुल :– ऋण अदायगियाँ				**0.00**	**2355868.75**	**2355868.75**	**0.00**	**2355868.75**	**2355868.75**	**0.00**	**2239271.73**	**2239271.73**
पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति हितलाभ	15	2071	मतदेय		2941866.99	**2941866.99**		2941866.99	**2941866.99**		3177704.89	**3177704.89**
			प्रभृत		1824.99	**1824.99**		1824.99	**1824.99**		1908.06	**1908.06**
कुल :– पेंशन				**0.00**	**2943691.98**	**2943691.98**	**0.00**	**2943691.98**	**2943691.98**	**0.00**	**3179612.95**	**3179612.95**

बिहार सरकार

बिहार सरकार
वित्त विभाग